सम्पादक के नाम

कितनी मौतें हो जाएं, इन्हें ज़रा शर्म नहीं आती

फेसबुक के भगवा पन्नों पर बनारस के निर्माणाधीन पुल के लिए आरक्षण को कोसना चालू हो गया है। मतलब, हम दलितों और पिछड़ों को। मैं कभी इस तरह की पोस्ट नहीं लिखा करता कि दलित-पिछड़े भ्रष्ट नहीं हो सकते। आप जरूर लिखते हैं कि भूखे-नन्गे हैं, मौक़ा लगते ही खाएंगे। मैं यह भी नहीं लिखता कि फलां हादसे को देखो, सब कारीधारी सवर्ण ही थे। लेकिन आप गंद फ़ैला रहे हो तो सुनो, देश के कारीधारी सवर्ण हैं। सबसे बड़े घोटालेबाज भी। देश का पैसा लेकर भागने वाले भी।

आप कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा इंजीनियर आरक्षण से आए, इसलिए पुल गिरा। बेशर्मों, चीफ़ प्रोजेक्ट इंजीनियर का नाम एचसी तिवारी है। बनारस में तुम्हारा मेयर है, तुम्हारा एमएलए है, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, देश में तुम्हारी सरकार है। डूब मरो जो इतनी मौतों पर न्यूनतम शर्मिंदगी का अहसास होने के बजाय इस तरह की हरकतें करने लगते हो। ऐसा सिर्फ़ आदमखोर कर सकते हैं, इंसान नहीं। इन घपलों-घोटालों का संरक्षण तुम इसी तरह करते हो, जाति-धर्म के आधार पर नफ़रत फ़ैला कर।

बक़वास कर रहे हो तो सुनो, इतनी मौतें हो जाने पर जश्न नहीं मनाया जाया करते, वो भी ऐसे चुनाव नतीजों के, जहां बहुमत तक न हो।संज़ीदगी सीखो, तमीज़ सीखो, ज़िम्मेदारी सीखो, जिनके मरे हैं, उनके दु:ख में ही ख़ामोश रहना सीखो।

धीरेश सैनी

शाही घड़ियाल के किसानी आँसू

सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्म हत्या करने के मुद्दे पर बड़ी ही गहरी चिंता प्रकट कर दी। तमाम न्यूज चैनलों बड़े-बड़े पत्रकारों और नामचीन अखबार नवीसों से भरी प्रेस वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने कर्नाटक के किसानों के प्रति अपनी सारी हमदर्दी ही उड़ेल दी। लेकिन आज के बेहद कुशल, दक्ष और महाज्ञानी पत्रकारों में से किसी ने अध्यक्ष महोदय जी से यह पूछने की हिम्मत नही दिखाई कि आपकी सरकार केन्द्र में तो है ही साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में भी है। इन राज्यों में क्या किसानों द्वारा आत्म हत्या करने के आंकड़ों में वृद्धि नही हुई है।

क्या आपकी पार्टी के शासित राज्यों में किसान बहुत सुखी है? यदि है तो क्यों महाराष्ट्र में 40 हजार किसानों को 180 कि.मी. की पैदल यात्रा कर सरकार को जगाना पड़ा? क्या गुजरात के बदहाल किसानों ने आपकी इतनी चिंता नही बढ़ाई? आपको और देश के प्रधानमंत्री को अपने गृह राज्य में ही पिछले विधान सभा का चुनाव जीतने हेतु सर्वस्व झोंकने पर विवश नही कर दिया था? आदरणीय आप हमारे मध्य प्रदेश को ही भूल गये जो पिछले डेढ़ दशक से आपकी राजनैतिक सत्ता के ही अधीन है? यहां तो किसानों की आत्म हत्या के सबसे अधिक मामले हैं।

* नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं (एडीएसआई) पर ताजा आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश अकेले भारत भर में किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्याओं में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 8007 आत्महत्याओं में से 1290 आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में हुई है। अभी के ताजे आकड़ो के मुताबिक राज्य में छोटे वर्ग के किसान(289), सीमांत किसान (154), मध्यम वर्ग के किसान (134) और उच्च वर्ग के 4 किसानों ने अपनी जान दी है।

मध्य प्रदेश में किसान के आत्महत्याओं का रिकॉर्ड....

वर्ष	आत्महत्याऐं
2010 -	1237
2011 -	1326
2012 -	1172
2013 -	1090
2014 -	826
2015 -	1290
2016 -	1695

तो महोदय जी आपकी चिंता पूरे देश के किसानों के प्रति नही होना चाहिये? या फिर आपके दल की सरकार में किसानों की मौत कोई मायने ही नही रखती? अपनी गलतियों पर सफाई न देकर दूसरों पर ही हल्ला बोलना आज की राजनीति है। यह राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति करने की पराकाष्ठा है।

-सुनील खरे

विकास शर्मा बने पत्रकार एकता मंच के जिला प्रधान

फरीदाबाद (म.मो)। विकास भारत शर्मा को पत्रकार एकता मंच फरीदाबाद का जिला प्रधान नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की घोषणा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगरूप सहरावत ने की । नवनियुक्त प्रधान विकास भारत शर्मा ने अपनी नियुक्ति पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगरूप सहरावत, मीडिया कोर्डिनेटर डा.राजीव रतन, महासचिव शशिकिरण अरोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता नवल सिंह, प्रचार प्रमुख मृणाल लाला, सगठन मंत्री गजेंदर सिंह दहिया, सयोजक हरियाणा सर्वमित्र, व अन्य पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मंच ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसको वे पूरी लगन, ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे व मंच को मजबूत बनाने का काम करते रहेंगे।

आईआईटी के 7 प्रोफेसरों ने खड़े किए आधार पर सवाल

संदीप पांडेय, मैग्सेसे से सम्मानित
सामाजिक कार्यकर्ता

आधार के व्यापक और बिना तैयारी के सभी जगह इस्तेमाल और वित्तीय लेने-देन के लिए अनिवार्य बना देने से नए किस्म के दुरुपयोगों का खुल गया है रास्ता, निजी एजेंसियों की भागीदारी से सूचनाओं की सुरक्षा की नहीं रह गई कोई गारंटी...

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के संगणक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 7 प्रोफेसरों सोमेन चक्रवर्ती, सिद्धार्थ चौधरी, ओम दमानी, मनोज प्रभाकरन, कृति रामामृतम, भास्करन रमन व एस. सुदर्शन ने बहुचर्चित किंतु विवादों से घिरी 'आधार' योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उनके अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षित राष्ट्रीय पहचान योजना की संरचना व क्रियान्वयन हेतु अभी और चिंतन, विचार विमर्श और कुछ वर्ष लगेंगे। उनका निष्कर्ष है कि चूंकि आधार योजना पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं इसलिए जरूरी है कि नए सिरे से आधार के ढांचे को पुनर्निमित किया जाए।

एक राष्ट्रीय पहचान की योजना के सरकार की कार्यकुशलता, लाभों का वितरण, कानून व व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोककल्याण, लोगों की दृष्टि से सूचना की सुरक्षा एवं उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक एवं व्यापक निहितार्थ होते हैं।

आईआईटी मुम्बई के प्रोफेसरों ने एक राष्ट्रीय पहचान योजना से न्यूनतम अपेक्षाएं की हैं कि वह समावेशी होनी चाहिए, उसे वंचितों का सशक्तिकरण करना चाहिए व प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने वाली होना चाहिए, पहचान के दुरुपयोग को रोकने वाली होनी चाहिए, मौलिक सेवाओं तक पहुंच में उसे बाधा नहीं बनना चाहिए व उससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

जमीनी स्तर से आ रही प्रतिक्रियाओं के अनुसार आधार के वर्तमान स्वरूप व क्रियान्वयन का उपर्लिखित अपेक्षाओं से विरोधाभास है। उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक से पहचान स्थापित करने पर निर्भरता के कारण बहुत सारे लोगों को मौलिक सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, जैसे बिना आधार के बच्चे का प्राथमिक विद्यालय में दाखिला नहीं हो रहा अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का अनाज नहीं मिल रहा जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

कुछ किस्म के पहचान के दुरुपयोग तो आधार से रोके जा सकेंगे, लेकिन आधार के व्यापक व बिना तैयारी के सभी जगह इस्तेमाल से, उदाहरण के लिए वित्तीय लेने-देन के लिएअनिवार्य बना देने से, नए किस्म के दुरुपयोगों का रास्ता खुल गया है। निजी एजेंसियों की भागीदारी से सूचनाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई क्योंकि अभी हमारे यहां इसे लेकर कानून कमजोर हैं।

इसका कारण है कुछ तो जिस तरह से आधार की संरचना तैयार की गई है - जैसे बायोमेट्रिक का सत्यापन के लिए इस्तेमाल व विभिन्न एजेंसियों की एक केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच।

अभी तक के अनुभव से जो दिक्कतें आ रही हैं उनके दृष्टिगत आईआईटी के प्रोफेसरों ने एक तकनीकी व नीतिगत दिशा निर्देश सामने रखा है। वे इसे अपूर्ण ही मानते हैं।

उनका कहना है कि पहचान, सत्यापन व अधीकृत करने को जोड़ने से बचा जाए। वर्तमान समय में आधार का इस्तेमाल पहचान, सत्यापन, 'अपने ग्राहक को जानें,' अधीकृत करने व किस्म-किस्म के प्रमाण पत्र व दस्तावेजों के भण्डारण के लिए किया जा रहा है। किंतु आधार की संरचना इन उपयोगों के लिए नहीं बनी है।

उदाहरण के लिए कई उपयोगों (जैसे महाराष्ट्र में सम्पत्ति के पंजीकरण) में आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अस्थाई रूप से अधीकृत

करना फर्जीवाड़ा के नए रास्ते खोलता है। कई उद्देश्यों के एकीकरण एवं उन्हें पूरा करने के तरीकों ने आधार की व्यवस्था को पेंचीदा बना दिया है जिसमें से उसके अकल्पनीय दोहन की सम्भावना पैदा होती है। इसलिए वे मानते हैं कि पहले इन उद्देश्यों को पृथक करना और उन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देने होंगे कि आधार का इस्तेमाल किन चीजों के लिए हो सकता है और किन के लिए नहीं।

उन्होंने बायोमेट्रिक पर निर्भरता कम करने की सलाह दी है। विस्तृत बायोमेट्रिक विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए कारगर हो सकता है किंतु सत्यापन के लिए यह सही नहीं है क्योंकि इसमें वापस लौटना सम्भव नहीं है व इसको चुराना आसान है।

नागरिकों के बायोमेट्रिक को एकत्रित करने में कोई इस किस्म की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं कि वह जानकारी अवांछित तत्वों को न मिले। इंग्लैण्ड व इजराइल में विरोध के बाद वहां कि सरकारों ने इस किस्म की नीतियां बदल दीं।

आधार के इस्तेमाल के आंकड़ों से यह पता चलता है कि व्यापक स्तर पर बायोमेट्रिक के इस्तेमाल में त्रुटियों की दर ऊंची है। प्रोफेसरों के अनुसार बायोमेट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ पंजीकरण के समय विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए होना चाहिए। बायोमेट्रिक का संकलन व सत्यापन (पासपोर्ट कार्यालय की तुलना में) अधिक सुरक्षा के साथ होना चाहिए और किसी निजी एजेंसी को तो यह बिल्कुल नहीं सौंपा जाना चाहिए।

कम्प्यूटर के जानकर इन प्रोफेसरों का कहना है कि जीवंत नेटवर्क से सूचनाओं के आदान-प्रदान को न्यूनतम किया जाए। दूरस्थ कम्प्यूटर से सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था में साइबर हमले से मूलभूत सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसे न्यूनतम करने से अनुश्रवण आंकड़ों को कम किया जा सकता है। लोगों के निजी जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो, की सोच से प्रेरित उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी व नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जानकारी की सुरक्षा की अधिकतम गारंटी हो। उदाहरण के लिए पहचान स्थापित करने की जरूरत को कम किया जा सकता है, सेवादाताओं द्वारा 'अपने ग्राहक को जानें' सूचना एकत्र करने को खत्म किया जा सकता है और बहु सेवाओं के लाभार्थी का अनुश्रवण रोका जा सकता है। इसके बावजूद मजबूत कानूनी ढांचे से लैस ऐसे प्रौद्योगिकी प्रावधान हो सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर विभिन्न हितग्राहियों की सक्रिय भागीदारी से अनुश्रवण का काम कर सकें।

मानवाधिकार की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्ण व्यवस्था की उपलब्धता और व्यक्ति की सेवाओं तक पहुंच की गारंटी अधिकतम होनी चाहिए। लाभार्थी जैसे अनुश्रवण से सुरक्षित हो उसी प्रकार सेवाओं से एकदम वंचित किए जाने से भी सुरक्षित रहे।

वे यह भी मानते हैं कि कुछ लाभार्थी, सेवादाता व व्यवस्था के अंदर के लोग समझौता कर सकते हैं। इसके बावजूद व्यवस्था की सुरक्षा व उपलब्धता की गारंटी बनी रहनी चाहिए। इस दिशा में एक गहरी सुरक्षा का दृष्टिकोण लेना चाहिए जिसमें खुलेपन व सुरक्षा का एक समन्वय बैठाना पड़ेगा।

लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत करते हुए वे कहता हैं कि पंजीकरण व इस्तेमाल पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। पंजीकरण स्वैच्छिक होना चाहिए व व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए, ताकि वह चाहने पर बाहर भी आ सके (अथवा दुरुपयोग को रोक सकने के तरीके होने चाहिए)।

पहचान के आधार पर संचालित होने वाली सेवाओं को उन लोगों को विकल्प देना होगा जिन्होंने बाहर रहने का निर्णय लिया है अथवा स्वेच्छा से बाहर हो गए हैं। निजी सेवा उपलब्ध कराने वालों पर नियंत्रण की व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

योजना समावेशी हो इसलिए उनके अनुसार अपवाद व संरचना के विकास हेतु गुंजाइश होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था में अपवाद अवश्यम्भावी है। अपवादों का समाधान निकालने के लिए बिना असुविधा पहुंचाए मानवीय तरीके होने चाहिए और जरूरत पड़ने पर अस्थाई हल निकालने की गुंजाइश होनी चाहिए।

व्यवस्था में दोष या अपवाद की वजह से हुए नुकसान से लोगों का बचाव होना चाहिए। व्यवस्था की संरचना को निरंतर बेहतर बनाया जाना चाहिए और उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन भी होना चाहिए।

अंत में उन्होंने स्वतंत्र अनुश्रवण की व्यवस्था की जरूरत बताई है। क्रियान्वयन में कार्यकुशलता, सुरक्षा व न्याय हेतु एक स्वतंत्र अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए जो शिकायत निवारण, नुकसान के मुआवजे व सामाजिक अंकेक्षण पर ध्यान रख सके।

इन दिशा—निर्देशों से हम वर्तमान व भविष्य के आधार प्रस्ताव का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। चूंकि वर्तमान संरचना में उपर्युक्त दिशा निर्देशों के प्रकाश में कई कमियां हैं, इसलिए प्रोफेसर लोग मानते है कि उसे प्रायोगिक ही माना जाए और उसी तरह से उसका इस्तेमाल हो। क्रियान्वयन के खर्च को कम करने के लिए वर्तमान व्यवस्था के तत्व जो भविष्य की संरचना का हिस्सा बनते हैं उपर्युक्त दिशा निर्देश के साथ किसी समझौते की कीमत पर नहीं होने चाहिए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के प्रोफेसरों की स्पष्ट भूमिका की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बिना लाग-लपेट सारी बातें कह दी हैं। जो लोग आंखें बंद कर 'आधार' को अनिवार्य बनाने में लगे हुए हैं उन्हें दो मिनट रुककर आई.आई.टी. मुम्बई के प्रोफेसरों के दिशा निर्देशों पर विचार करना चाहिए और ईमानदारी से इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि वर्तमान रूप में क्या आधार इन बिंदुओं पर खरा उतरता है।

जबानी जमा खर्च से किन्नरों का हाल नहीं बदलेगा!

'हाय रब्बा, कित्यों आ गये ऐं मरजाड़े स्वेरे-स्वेरे', इन्हीं अपशब्दों के साथ कठुआ की श्रीमती वाणी वैद्य ने अपने घर आये किन्नर समुदाय के लोग़ों का स्वागत किया।

परम्परा अनुसार किन्नर समाज के लोग विवाह, जन्म इत्यादि के अवसर पर घरों में जाकर नृत्य एवं गायन करते हैं। बदले में धनराशि, सोने का कोई आभूषण या और कुछ भी मांगते हैं। श्रीमती वैद्य ने कल ही अपने बड़े बेटे का विवाह सम्पन्न किया था।

इसी क्रम में, मंजरी, झुमरू, सलमा ने ढोलक और मंजीरों की शानदार थाप पर नृत्य प्रारम्भ किया और देखते ही देखते उन पर सैकड़ों रुपये फूफा, बुआ, मामा, चाचा इत्यादि रिश्तेदारों ने न्योछावर कर दिये। अब समय था इस किन्नर समुदाय की मांगों को पूरा करने का, जो 51000 से प्रारम्भ हुआ। वहीं घर के मुखिया ने 2100 से अपनी भेंट प्रदान की। दो घण्टों की तोल-मोल के उपरांत सौदा 21000 रुपये पर तय हुआ। भविष्य में पोता पैदा होने पर एक सोने के कंगन मिलने के आश्वासन से किन्नर समुदाय वहां उपस्थित सबको आशीर्वाद देता हुआ शांत हुआ।

घरवालों में आशीर्वाद पाने की होड़ सी लग गई थी। सभी चाहते थे कि एक रुपये का सिक्का किन्नरों से आशीर्वाद स्वरूप मिल जाये। इसे स्थानीय लोग शुभ मानते हैं। 55 वर्षीय झुमरू जो कठुआ में शास्त्री नगर इलाके के किन्नरों के मुखिया हैं, ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से वो यहां रह रही हैं। उनकी मां ने उन्हें जलंधर में जन्म दिया और किन्नर समुदाय को सौंप कर अपना पीछा छुड़ा लिया।

मृत्यु के कुछ समय पहले तक झुमरु की मां अपने बेटे के लिये झुमरू का आशीर्वाद लेने कठुआ आती रही थी।

किन्नर सलमा को नहीं पता कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ था। जबसे होश संभाला इसी नाच-गाने के काम में हैं। कभी-कभी शादियों की कमी होने से जिस्म फरोशी जैसा नापाक काम भी करना पड़ता है। सलमा ने वहां खड़े लोगों पर सरसरी नज़र डालते हुये कटाक्ष किया कि पै जेड़े मेरी दुआंवा नू मरे जांदे पए नें,मरजाड़े कदि-कदि तां मेरी अस्मत दे मेरे नाल ही मेरे पहे (पैसे) बी खा जांदे हन हरामजादे।

मंजरी जो अभी सिर्फ़ 19 वर्ष की है नाच-गाने को भद्दे रूप में पसंद नहीं करती। परन्तु बाहरी समाज के मुकाबले यहां इस समाज में समता एवं सुरक्षा का भाव अधिक मजबूत है। तीन वर्ष पूर्व पठानकोट के किसी मालदार घर में बर्तन कपड़ा एवं घर सफ़ाई का काम करने के एवज में 2000 रुपये तथा रहना खाना मिलता था। घर का मालिक जो अधेड़ उम्र का था लगभग रोज़ उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था, वो भी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के।

एक रोज झूमरू के उसी घर में विवाह समारोह में आने के बाद झमरू उसे अपने साथ ले आई। तबसे वह इस नाच गाने में ही जीवन के दिन काट रही है।

विडम्बना देखिये कि ज्यों ही किन्नर समाज घर से बाहर गया घर के लोगों ने शायद ही कोई अपशब्द होगा जो उनके लिये इस्तेमाल न किया हो।

अजब स्थिति है हमारे समाज की, जिस किन्नर पर स्वयं रुपये वारे जा रहे थे, जिसके आशीर्वाद को लगभग सभी लालायित थे, उसको पीछे से हज़ारों गालियां। प्रश्न यह है कि हमारे समाज में किन्नरों की उपयोगिता इसी अंधविश्वासी रूप में क्यों है? एक ओर समाज इन्हें नापसंद करता है तो दूसरी ओर इन्हें आशीर्वादों की खान मानता है।

इस तर्क रहित व्यवस्था ने ही झूमरू की मां को विवश किया कि वह अपनी संतान को गंदगी में झोंक दे और इसी अंधविश्वास ने उन्हें अपने पुत्र को झुमरू के आशीर्वाद का कवच पहनाने का भी लालच दिया।

सुप्रीम कोर्ट के 2014 में किन्नर समाज को तीसरे लिंग की मान्यता के बावजूद, हमारे देश में किन्नर समाज की दशा जहां एक ओर राजनैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से उपेक्षित है। वहीं सामाजिक रूप से इनका शोषण भी कुछ कम नहीं।

समाज के ढोंगीपन का आलम यह है कि ट्रैफ़िक सिग्नलों पर इनको देखकर गाड़ी के शीशे चढाने वाले अंधेरे में इनके साथ दरवाजों की चटकनियां कसते नज़र आते हैं। किन्नरों की बद्दुआ से डरकर इनसे आशीवार्द की भीख मांगने वाले इन्हें अपशब्दों के हार भी पहनाते जाते हैं।

यह अंधविश्वास ही है जिस पर विश्वास करके समाज ने इन्हें सम्मानपूर्ण जीवन से वंचित कर दिया है और खुद को भी एक पाखंड का आवरण पहना लिया है। सरकारों की दिलचस्पी मुर्दों की तस्वीरें हटाने और समाधियां बनाने में है। परन्तु 'सबका साथ सबका विकास' का नारा देकर सत्तानशीं होने वाली सरकारों को किन्नरों को शामिल करना याद नहीं या शायद पसंद ही नहीं।

-विवेक